

फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
 कोसली कानून नोटरी

२५२१

केस संख्या : ५१/१४

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक
 या कार

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
४-५ स्वतः		<p>पडावली प्रस्ताव पडावली का शकलिक किया गया। वादी/प्राची द्वारा प्रत्येक रिक्ति की पालन हेतु कानून प्रत्येक प्रेश किया गया है जोकि बूलवट में माननीय शरम्वान उच्च न्यायालय का स्वगत व विचारण होने के कारण पालन नहीं की जा सकती है। अतः जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक पडावली की कार्यवाही स्थगित की जाती है।</p>

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर

